-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.12.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा शादी का झांसा देने वाले गिरोह के 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.12.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि आज दिनांक 22.12.2024 को शंकर उपाध्याय पुत्र ब्रजमोहन उपाध्याय निवासी जमालपुर थाना कोतवाली देहात पर तहरीर देकर बताया कि उसके साथ कुछ लोगों द्वारा शादी कराने का नाम पर ठगी की जा रही है। जिसके संबध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर महोखर चौराहे से 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि पहले हम लोग ऐसे व्यक्ति को ढूंढते है जिनकी शादी नहीं हुई है फिर उनकी शादी कराने के नाम पर पैसा लेते है और शादी कराकर लड़की को साथ भेज देते है फिर कुछ दिन रुकने के बाद मौका पाकर घर के जेवरात, रुपये इत्यादि लेकर फरार हो जाते है।

बरामदगी-

- 04 अदद मोबाइल
- 02 अदद आधार कार्ड
- 05 हजार रूपये

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विमलेश वर्मा पुत्र रामविलाश निवासी बरछा थाना बदौसा जनपद बांदा।
2. धर्मेन्द्र प्रजापति पुत्र रामप्रसाद प्रजापति निवासी निबियाखेडा थाना सजेती जनपद कानपुर।
3. ज्योती पुत्री चेतराम निवासी माधोगढ थाना माधोगढ जनपद जालौन
4. संजना गुप्ता पत्नी अंकित गुप्ता निवासी थाना सजेती जनपद कानपुर

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0स0 256/24 धारा 318(4) 337/338/336(3)/340(2)/352/351(3) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. थानाध्यक्ष श्री आनन्द कुमार
2. उ0नि0 श्री दीपक कुमार
3. हे0का0 जावेद अली
4. का0 मंजीत सिंह
5. म0का0 अवन्तिका कुशवाहा